

### विज्ञापित

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या 18351/एडमिन 'जी0-1'/2019 इलाहाबाद दिनांकित 16.12.2019 एवं शासनादेश संख्या 102/सात-न्याय-02-2015-728/86 दिनांक 18.06.2015 में दिये गये निर्देशों के आधीन परिवार न्यायालय, प्रतापगढ़ उ0प्र0, हेतु परामर्शदाता के दो पद पर निम्नलिखित शर्तों के आधीन इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक 20.12.2019 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों की संख्या घट/बढ़ सकती है। आवेदन पत्र नियत तक प्रत्येक कार्य दिवस को प्रशासनिक कार्यालय में 10 बजे से 05 बजे तक जमा होंगे।

#### शैक्षिक अर्हता-

1. समाजशास्त्र या मनोविज्ञान में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री रखता हो और उसे समाज सेवा का अनुभव हो।
- नोट- जो अभ्यर्थी सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री धारक है और पारिवारिक काउंसिलिंग में जिन्हें 02 वर्ष का अनुभव है उन्हें वरीयता दी जायेगी।

#### आयु-

2. विज्ञापन के समय अभ्यर्थी की आयु 35 से 65 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।

#### कार्यकाल-

3. परामर्शदाता का कार्यकाल प्रारंभ से 03 वर्ष का होगा। उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर 03 वर्ष के लिए उनके नाम पर पुनर्विचार किया जा सकता है।
4. परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्त नहीं मानी जायेगी और वे न्यायालय से संविदा के आधार पर सम्बद्ध रहेंगे।

#### वेतन-

5. 6,000/- (छः हजार रू0) नियत प्रतिमाह
6. परिवार न्यायालय प्रतापगढ़ हेतु जनपद प्रतापगढ़ के आवेदको को वरीयता दी जायेगी।
7. परामर्शदाता की नियुक्ति के सम्बन्ध में राज्य सरकार, माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर अधिसूचना जारी करेगी।

### आवेदन पत्र

#### पद का नाम -

1. अभ्यर्थी का नाम : .....
2. पिता का नाम : .....
3. जन्मतिथि : .....
4. पता : .....
- अस्थायी पता : .....
- स्थायी पता: .....

#### 5. शैक्षिक योग्यता :

क्र0सं0	परीक्षा का नाम	वर्ष	विषय	निर्धारित अंक	प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत

#### 6. अनुभव

नोट: शैक्षणिक एवं अनुभव प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य है।

7. अन्य विवरण जिसे अभ्यर्थी प्रस्तुत करना चाहता है-.....


अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....

### घोषणा

एतद्वारा मैं श्री ..... पुत्र..... घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र पर सभी वांछित सूचनाओं को यथावत एवं स्पष्ट रूप से भरा गया है। यदि भविष्य में किसी भी समय भरी गयी सूचनायें असत्य पायी जाती है तो उस स्थिति में मेरा आवेदन/नियुक्ति को बिना किसी सूचना/नोटिस के निरस्त करते हुए नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही किये जानें में कोई आपत्ति नहीं होगी।

स्थान .....  
दिनांक .....

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....

  
OFFICE OFFICER